

अणुओं की मिरर गुत्थी सुलझी, एक खेज बदल देगी पूरी दुनिया, कागन- सोई को नोबेल



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। कभी दो हाथों को सामने रखकर देखिए। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन बायां हाथ दाएं हाथ की जगह नहीं ले सकता। विज्ञान की दुनिया में भी कुछ अणुओं की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। वे एक-दूसरे की दर्पण छवि होते हैं, मगर शरीर उन्हें एक जैसा नहीं मानता। एक जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है, दूसरा बेअसर या

नुकसानदेह। करीब एक सदी से वैज्ञानिकों के सामने यही सवाल था 'जब प्रकृति के सामने दोनों रास्ते खुले थे, तो जीवन ने एक ही 'हाथ' वाले अणुओं को क्यों चुना? 2026 का रसायन विज्ञान नोबेल इसी रहस्य की उस कड़ी को सुलझाने के लिए फ्रांस के हेनरी बी. कागन और जापान के केन्सो सोई को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उनके काम को असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन-लीनियर प्रभाव और ऑटोकैटलिसिस की खोज के लिए सम्मानित किया है।

जरा-सी बढ़त और फिर वही अणु बनने लगे

कागन ने 1986 में दिखाया कि रासायनिक प्रतिक्रिया में दोनों मिरर-अणु हमेशा बराबर मात्रा में बनें, यह जरूरी नहीं। बेहद छोटी असमानता को रासायनिक प्रक्रिया बढ़ा सकती है। यही वह विचार था जिसने

पुरानी धारणा को चुनौती दी कि शुरुआत में जितना अंतर होगा, परिणाम भी उतना ही होगा। फिर सोई ने इस गुत्थी को एक अद्वैत मोड़ दिया। 1995 में उन्होंने 5-पाइरिमिडिल एल्केनॉल के साथ ऐसा प्रयोग किया जिसमें शुरुआत में एक मिरर-रूप की बढ़त महज 2 प्रतिशत थी, लेकिन प्रतिक्रिया के बाद वही बढ़त 87 प्रतिशत तक पहुंच गई। कारण था ऑटोकैटलिसिस 'यानी बना हुआ अणु आगे अपने जैसे अणु बनने की प्रक्रिया को खुद तेज करने लगा। 2003 में सोई ने इसी सिद्धांत को और आगे पहुंचाया। ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित हुई जिसमें मामूली शुरुआती अंतर बढ़ते-बढ़ते लगभग पूरी प्रतिक्रिया पर हावी हो सकता था और एक ही मिरर-रूप 99.99 प्रतिशत तक पहुंच सकता था। यही इस नोबेल की सबसे प्रेरक सीख है 'कभी-कभी शुरुआत की छोटी-सी बढ़त ही भविष्य का सबसे बड़ा बदलाव बन जाती है। कागन और सोई ने अणुओं के स्तर पर दिखाया कि प्रकृति में एक मामूली असंतुलन किस तरह खुद को बढ़ाते हुए निर्णायक बन सकता है। उनकी खोज दवाओं के निर्माण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी दवा के दो मिरर-रूपों के प्रभाव अलग हो सकते हैं।

CJP का दिल्ली कूच: सौरव दास बोले- क्या सरकार देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति चाहती है?



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉंग्रेस जनता पार्टी (CJP) ने अब आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। बुधवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में CJP और लेफ्ट छात्र संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन की घोषणा की गई। CJP का कहना है कि यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनावी व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर जारी रहेगा।

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचकर पत्थरबाजी और लाठी चलाने के लिए कह रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति चाहती है। दास ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पिछली गलतियों को दोहराने के बजाय स्थिति सुधारी जानी चाहिए, क्योंकि देश का युवा अब जवाबदेही मांग रहा है। ये आरोप CJP के हैं। दास ने मांग की कि ज्ञानेश कुमार को केवल पद से हटाना पर्याप्त नहीं है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, कार्रवाई हो और एक स्वतंत्र कमेटी गठित कर उनके कार्यकाल तथा लिए गए फैसलों की जांच कराई जाए। CJP ने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में देशभर के युवाओं से शामिल होने की अपील की है। पार्टी ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन की औपचारिक सूचना भी दी है।

पुलिस कार्रवाई को लेकर भी लगाए गंभीर आरोप

दास ने पिछले आंदोलनों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बर्बरता के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले के प्रदर्शन में लोगों के सिर फोड़े गए और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी हुई। उन्होंने आशंका जताई कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस सख्ती कर सकती है। लेफ्ट से जुड़ी छात्र नेता नेहा बोरा ने दावा किया कि 4 अक्टूबर को इंडिया गेट से जंतर-मंतर मार्च में करीब 3 हजार लोग शामिल हुए थे। उनके अनुसार उन्हें एक निजी वाहन में अकेले बैठाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने वाहन को आगे नहीं बढ़ने दिया। CJP का यह आंदोलन 2 अक्टूबर से शुरू हुए देशव्यापी अभियान की अगली बड़ी कड़ी है। संगठन पहले भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून से 25 जुलाई तक 36 दिनों तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर चुका है। इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांग्चुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे।

बुजुर्ग महिला से लूट के दो आरोपी गुजरात से गिरफ्तार, सोने के जेवर बरामद



24 न्यूज अपडेट

सागवाड़ा। सागवाड़ा थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला को रास्ता पछुने के बहाने सुनसान गली में ले जाकर सोने के

जेवर लूटने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गुजरात के मोडासा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने के जेवर भी बरामद किए हैं। थानाधिकारी मनीष खोईवाल के अनुसार गामठवाड़ा निवासी तुलसी बुनकर ने 17 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार दो युवक बांसवाड़ा जाने का रास्ता पछुने के बहाने उसके पास आए और उसे डराकर सुनसान गली में ले गए। वहां दोनों ने उसके सोने के झुमके और कान की चेन छीन ली तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद भय के कारण महिला ने तत्काल किसी को जानकारी नहीं दी। बाद में बेटे जितेंद्र को घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान उनकी लोकेशन गुजरात के मोडासा में मिली। इसके बाद पुलिस ने दक्षिण देकर गुजरात निवासी शंकर और प्रकाश को पकड़ा और सागवाड़ा थाने लाकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों ने लूट की वारदात कबूल कर ली। जांच में दोनों के राजस्थान और गुजरात में लूट व ठगी की अन्य वारदातों में शामिल होने की जानकारी भी सामने आई है।

अजमेर महिला जेल से बंदियों को अवैध रूप से घर ले जाने वाली निलंबित जेलर कोटा से गिरफ्तार: सिविल लाइंस थाना पुलिस का बड़ा एक्शन

24 न्यूज अपडेट



जयपुर 7 अक्टूबर। अजमेर के महिला बंदी सुधार गृह से दो महिला बंदियों को नियम विरुद्ध और अवैधानिक तरीके से बाहर निकालकर अपने निजी आवास पर ले जाने के गंभीर मामले में अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार चल रही तत्कालीन जेलर

(कारापाल) दिव्या चौधरी को कोटा से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरोपी जेलर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जेल के सुरक्षाकर्मियों को डरा-धमकाकर आजीवन कारावास से दंडित एक सजायापता और एक विचाराधीन महिला बंदी को जबरन जेल से बाहर निकाला था। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को धमकाकर बंदियों को ले गई थी निजी आवास पुलिस अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि 12 जुलाई 2026 को तत्कालीन प्रभारी जेलर दिव्या चौधरी निवासी भीलवाड़ा ने अपनी सहयोगी

महिला प्रहरी सोनिया चौधरी के साथ मिलकर साजिश रची। उन्होंने महिला बंदी सुधार गृह के मुख्य द्वार पर तैनात अन्य जेल कर्मियों के विरोध के बावजूद उन्हें डराया-धमकाया और आजीवन कारावास की सजा काट रही महिला बंदी किरण उर्फ सेठा तथा विचाराधीन बंदी सना को अवैध रूप से बाहर निकाल लिया। इसके बाद जेलर दिव्या चौधरी दोनों बंदियों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और निजी हित के लिए एआरजी सिटी स्थित अपने निजी आवास पर ले गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद से थी फरार; कोटा के रिहायशी प्लैट से हुई गिरफ्तारी घटना के संबंध में 05 अगस्त को अजमेर केंद्रीय कारागृह के प्रहरी महिपाल मांगलोदा की रिपोर्ट पर सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने और जुर्मा प्रमाणित पाए जाने के बाद आरोपी दिव्या चौधरी

गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने मुख्यालय से बिना बताए फरार हो गई थी। पुलिस टीम ने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण कर साइबर सेल की मदद से ट्रैकिंग शुरू की। मंगलवार 06 अक्टूबर को अजमेर पुलिस की विशेष टीम ने कोटा जिले के एक आवासीय प्लैट में दक्षिण देकर आरोपी जेलर दिव्या चौधरी (37) को गिरफ्तार कर लिया।

गंभीर प्रकृति के इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ और वृत्त अधिकारी शिवम जोशी के निर्देशन में सिविल लाइंस थानाधिकारी शंभू सिंह के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस टीम में सहायक उप-निरीक्षक मोईनुद्दीन, साइबर सेल के एसएसआई आशीष, हेड कांस्टेबल परिना बानो, कांस्टेबल ऋष्वेंद्र सिंह (विशेष योगदान) और साइबर सेल के कांस्टेबल अभय सिंह शामिल रहे।

गिरफ्तार आरोपी जेलर से प्रकरण में शामिल अन्य सहयोगियों तथा बंदियों को ले जाने के पीछे की मुख्य वजह के संबंध में गहन पूछताछ और अनुसंधान जारी है।

जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे बाबा निराला; 'जपनाम' के नारों से गूंजा दौसा



24 न्यूज अपडेट

दौसा, 7 अक्टूबर। कैमरा ऑन हुआ, जेल का गेट खुला और सामने दिखे बाबा निराला... इसके बाद दौसा की श्यालावास सेंट्रल जेल के बाहर माहौल किसी फिल्मी सेट से कम नहीं रहा। मंगलवार को बाँबी देओल अपनी चर्चित वेबसीरीज 'आश्रम-4' की शूटिंग के लिए जेल पहुंचे तो बाहर जमा भीड़ ने उनके किरदार के मशहूर अंदाज में 'जपनाम... जपनाम' के नारे लगाने शुरू कर दिए। खास बात यह है कि सीरीज की शूटिंग पहली बार दौसा जेल में हो रही है। प्रकाश झा के निर्देशन में बन रही 'आश्रम' के चौथे सीजन

की शूटिंग इन दिनों राजस्थान की अलग-अलग लोकेशन पर चल रही है। श्यालावास सेंट्रल जेल में सीरीज के अहम दृश्यों को फिल्माया जा रहा है। जेल प्रशासन की ओर से शूटिंग के लिए 10 अक्टूबर तक अनुमति दी गई है। मंगलवार को बाँबी देओल ने बाबा निराला के गेटअप में जेल में प्रवेश करने वाले दृश्यों की शूटिंग की। उनके जेल पहुंचने की खबर जैसे ही फैली, बड़ी संख्या में प्रशंसक जेल के बाहर जुट गए। लोग अपने पसंदीदा किरदार की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। बाँबी को देखते ही 'बाबा निराला' और 'जपनाम-जपनाम' के नारे सुनाई देने लगे।

जयपुर में बना बाबा का आलीशान ठिकाना

'आश्रम-4' की शूटिंग करीब एक महीने से जयपुर के कूकस स्थित शिव विलास होटल में चल रही है। यहां सीरीज के लिए आलीशान आश्रम का सेट तैयार किया गया है। सेट पर बाबा निराला के बड़े-बड़े चित्र और सीरीज के अनुरूप पूरा माहौल तैयार किया गया है। इससे पहले जयपुर के कूकस स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी शूटिंग हो चुकी है, जहां से बाबा निराला के नए लुक की झलक सामने आई थी। जयपुर के आसपास स्थित ऐतिहासिक लोकेशनों का इस्तेमाल भी सीरीज की शूटिंग के लिए किया गया है। बरसी के बांसखोह किले में भी शूटिंग की जा चुकी है।

त्रिधा चौधरी समेत पुराने चेहरे भी नजर आएंगे

'आश्रम' के चौथे सीजन में बाँबी देओल एक बार फिर बाबा निराला के किरदार में नजर आएंगे। सीरीज से जुड़े पुराने चेहरों में अभिनेत्री त्रिधा चौधरी भी शामिल हैं, जो पहले तीन सीजन में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। वहीं वरिष्ठ अभिनेता अनिल रस्तोगी ने बाँबी देओल के साथ शूटिंग के दौरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है।

संपादकीय : जवाबदेही के बरक्स

किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली परीक्षा तब होती है, जब वहां जनता को सरकार की किसी नीति पर सवाल उठाने का सहज अधिकार होता है और ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ दमन का रास्ता नहीं अख्तियार किया जाता। सामान्य स्थिति यह है कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि देश भर में लोग जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं सरकार उनसे संवाद कायम करके कोई हल निकालने के बजाय पुलिस के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इससे भी त्रासद यह है कि लोगों के आंदोलन करने और उसे बाधित करने के क्रम में अगर किसी पुलिस अधिकारी पर कोई गंभीर आरोप लगता है, तो उसकी जांच या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के उलट आरोपी को पदोन्नति देने जैसी घोषणा सामने आती है। सवाल है कि ऐसा करते हुए सरकार आखिर अपने किस रुख के बारे में संकेत देना चाहती है। गौरतलब है कि एसआइआर के मसले पर चुनाव आयोग के कई फैसले और समूची प्रक्रिया फिलहाल कठघरे में है, मामला अदालत में भी है। इसका कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आ रहा है। मगर जब लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। नतीजतन, पुलिस अपनी ड्यूटी के न्यूनतम तकाजों को भी भूल गई लगती है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस क्रम में दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन

के दौरान कुछ महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी करने और यहां तक कि यौन हमला करने का भी आरोप एक पुलिस अधिकारी पर लगा। कायदे से इतने गंभीर आरोप के बाद सरकार को तुरंत इस घटना की जांच कराने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए था। मगर इसके उलट खबर यह आई कि जिस पुलिस अधिकारी पर महिला पत्रकार से आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगा था, उसे पदोन्नति दी गई है। हालांकि इस खबर के बाद जब चारों तरफ लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू किए, तब सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी। मगर पदोन्नति की घोषणा तब की गई थी, जब महिला पत्रकार के खिलाफ हुई घटना पर चारों तरफ लोग आक्रोश जाहिर कर रहे थे, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद समूचे सरकारी और खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है ? देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच महिलाएं खुद की सुरक्षित महसूस करेंगी। मगर हालत यह है कि किसी मुद्दे पर चल रहे सैकड़ों या हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच महिला पत्रकार से बदतमीजी का आरोप खुद एक पुलिस अधिकारी पर लगता है, जिस पर महिलाओं को किसी दुर्व्यवहार से बचाने की भी जिम्मेदारी है। इस मामले में सरकार का रुख क्या बताता है। सवाल है कि जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई एक लोकतांत्रिक सरकार की नजर में आखिर आम लोग क्या हैं कि वह उनके संवैधानिक अधिकारों की कद्र करने के बजाय उन्हें किसी प्रतिद्वंद्वी की तरह मान रही है।

शिक्षा का संकट

बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके वर्तमान को संवारने का जिम्मा शिक्षकों के हाथ में होता है। शिक्षक का दायित्व विद्यार्थियों को पढ़ाना, उनकी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करना और व्यक्तित्व का निर्माण करना है। ऐसे में शासन की भी जिम्मेदारी बनती है। कि शिक्षा व्यवस्था में समय की मांग के अनुरूप नियमित तौर पर सुधार किए जाएं और शिक्षक-शिक्षार्थी के लिए विद्यालयों में हर तरह से अनुकूल वातावरण बनाया जाए। मगर मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राष्ट्र निर्माण को गति देने वाला शिक्षा का क्षेत्र शासन की नजर - ए - इनायत के लिए क्यों तरस रहा है ? यूनेस्को की ओर से बीते सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षण का पेशा जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और शिक्षकों के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में वर्ष 2030 तक सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दुनिया को पांच करोड़ अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत है। इसमें दोराय नहीं कि शिक्षकों की लगातार कमी तथा

मौजूदा शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य सौंप जाने से उनकी मुश्किलें और उनसे अपेक्षाएं दोनों बढ़ती जा रही हैं। भारत की बात की जाए, तो यहां सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को समय-समय पर कई गैर-शैक्षणिक कार्य भी सौंप दिए जाते हैं। इसका असर न केवल शिक्षकों के कामकाज पर, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। आपदा या विशेष परिस्थितियों में ऐसी जिम्मेदारियां आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब इन कार्यों की अधिकता शिक्षण के काम को प्रभावित करने लगे। वर्ष 2024-25 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में एक लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। ऐसे में अगर उन्हें गैर शिक्षण कार्य भी थमा दिया जाए, तो शिक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षक को पर्याप्त समय और संसाधन मुहैया कराना जरूरी है। जब शिक्षक का अधिकतम समय विद्यार्थी को मिलेगा, तभी विद्यालयों में सीखने का वातावरण बेहतर बनेगा और शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्य को हासिल कर सकेगी।

272 प्लॉट खुलासे के बाद नगर निगम में RTI पर पोती ‘सफेदी’ ! तीन महीने से PIO की आईडी मैपिंग नहीं



24 न्यूज अपडेट

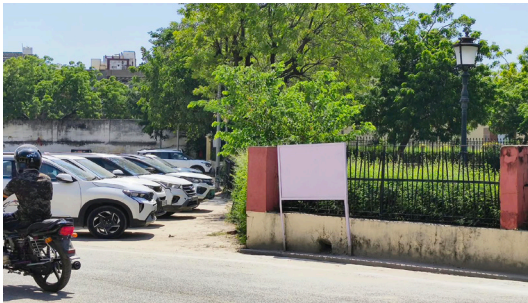
उदयपुर। सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को सामने लाने के लिए बना सूचना का अधिकार अधिनियम आम नागरिक के लिए सबसे अहम हथियारों में से एक है। लेकिन उदयपुर नगर निगम में हालात उल्टे दिख रहे हैं। यहां सिलसिलेवार आरटीआई की राजनीति व प्रशासनिक मिलीभगत से सामूहिक हत्या का प्रयास चलता नजर आ रहा है। 272 भूखंडों से जुड़े खुलासे के बाद से पता नहीं क्यों नगर निगम के अफसरों में डर बैठ गया है। कहीं वे सूचनाएं बाहर ना आ जाएं जिन पर नेताओं के इशारों पर पहरा बिठा रखा है। कहीं दोनों की एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी खतरे में ना आ जाएं। वो जुगलबंदी ना टूट जाए जिससे कई राज अभी पर्दे के पीछे और कारपेट के नीचे दबा कर रखे हुए हैं। हद तो ये है कि जिम्मेदार अफसर की ऑनलाइन RTI की आईडी मैपिंग तक नहीं की जा रही है। निगम में लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी उपायुक्त स्तर पर ढोल दी गई है लेकिन करीब तीन महीने से वर्तमान उपायुक्त की आईडी ऑनलाइन RTI व्यवस्था से मैप नहीं होने की बात सामने आ रही है। इसका सीधा असर उन आवेदकों पर पड़ रहा है, जो ऑनलाइन RTI के जरिए निगम से सूचना मांग रहे हैं। आवेदन की निर्धारित समय सीमा आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी तक

आवेदन पहुंचने और उस पर कार्रवाई की व्यवस्था को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। समय का कोई मोल नहीं है क्योंकि इस स्तर पर अफसर को पनिस करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है।

अधिकारी बदल गया, ऑनलाइन RTI में पुराना नाम

नगर निगम में उपायुक्त का पद संभालने के बाद भी ऑनलाइन RTI पोर्टल पर पूर्व उपायुक्त दिनेश कुमार मंडोवरा का नाम लोक सूचना अधिकारी के तौर पर प्रदर्शित हो रहा है। वर्तमान में हरि सिंह देवल उपायुक्त का कार्य देख रहे हैं। सवाल यह है कि जब अधिकारी बदल चुका है तो तीन महीने बाद भी ऑनलाइन RTI व्यवस्था में नई आईडी की मैपिंग क्यों नहीं हुई? इसी दौरान ऑनलाइन RTI लगाई गई उनका आवेदन किस अधिकारी के खाते में पहुंचा? उस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे अहम बात ये हो गई कि RTI की कानूनी समयसीमा निकल जाने पर जवाबदेही किसकी तय होगी?

जिस बोर्ड पर RTI समझाई, उस पर अब सफेदी



नगर निगम परिसर में RTI से संबंधित जानकारी देने वाले बोर्ड पर भी अब सफेदी पोत दी गई है। पहले इसी बोर्ड पर बताया गया था कि नगर निगम में सूचना के अधिकार की क्या व्यवस्था है और आम नागरिक किस तरह इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। अब बोर्ड पर सफेदी होने से वहां

निगम चुनाव में 18 साल के हो चुके युवाओं को वोट नहीं डालने दिया, अब कह रहे हैं नाम जुड़वाओ, जिनके नाम निकाय सूची से बिना वजह काट दिए उनका जवाब बीएलओ के पास भी नहीं



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। उदयपुर में मतदाता सूचियों का डिलीट का बटन किसके पास था यह चुनाव के बाद भी पता नहीं चल सकता है। ऐसे लोग जिनके पूरे परिवार का नाम सूची में आ गया और एक व्यक्ति का नाम कट गया इसका जवाब आज तक बीएलओ भी नहीं दे पाए हैं। इस मुद्दे पर अब भाजपा के साथ ही कांग्रेस ने भी चुप्पी साध ली है जो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करती फिर रही है। क्योंकि नेताओं के हित सध चुके हैं और अब उनको वोटों से कोई लेना देना नहीं है। पार्षद या निकाय चुनावों में ऐसे कई मतदाता जो वोटिंग के दिन 18 साल के हो चुके थे उनको वोटिंग अधिकार ही नहीं दिया गया। ना उससे पहले सूची को अपडेट किया गया। तब बीएलओ ने बताया कि जो जनवरी 2026 के बाद 18 साल के हुए हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे। गजब का मजाक तब भी और अब भी। अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में राजस्थान में मतदाता सूची के सतत अद्यतन के अंतर्गत पात्र एवं नव मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। अब क्यों

में लगी। दुकान संचालक लक्ष्मीलाल गुर्जर ने बताया कि रात करीब एक बजे आसपास के लोगों ने दुकान से आग की लपटें उठती देखीं और इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में आग पूरी दुकान में फैल गई। मेडिकल शॉप के आसपास रिहायशी मकान, दुकानें और रेस्टोरेंट होने से आग की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आग की लपटों के वीडियो भी बनाए। सूचना पर नगर निगम की फायर टीम और गोवर्धनविलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीएफओ बाबूलाल चौधरी ने बताया कि फायर टीम ने करीब 20 मिनट की मशक़त के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह लाइट के स्विच या वायर में शॉर्ट सर्किट होना सामने आ रही है। हालांकि आग के वास्तविक कारण और नुकसान का विस्तृत आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

RTI से संबंधित जानकारी दिखाई नहीं दे रही। यह तस्वीर अपने आप में निगम की RTI व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। एक तरफ तो सरकार आम नागरिक को सूचना मांगने का अधिकार देकर बड़े दावे कर रही है तो दूसरी तरफ उसी अधिकार के इस्तेमाल की प्रक्रिया बताने वाला बोर्ड ही गायब हो जाएं और ऑनलाइन व्यवस्था में जिम्मेदार अधिकारी की आईडी मैपिंग महीनों तक न हो, तो पारदर्शिता की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आवेदक के लिए हर दिन अहम, निगम के लिए समयसीमा ?

RTI आवेदक के लिए समयसीमा कोरी प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होती। कई बार मांगी गई सूचना किसी शिकायत, जांच, सरकारी जमीन, निर्माण, टेंडर, नामांतरण या किसी कथित अनियमितता से जुड़ी होती है। सूचना मिलने में देरी का मतलब ही सूचना के उपयोग की उपयोगिता कम होना हो सकता है। अधिकारों का सीधा सीधा हनन होना है, मगर यहां भी अफसरों व कर्मिकों पर पनिसमेंट की परमपरा नहीं होने से जवाबदेही शून्य हो रही है।

आयुक्त ने उपायुक्त को दी जिम्मेदारी, फिर आईडी मैपिंग क्यों नहीं ?

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने RTI से जुड़ी जिम्मेदारी उपायुक्त स्तर पर दे रखी है। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होने के बावजूद ऑनलाइन सिस्टम में वर्तमान अधिकारी की आईडी मैप नहीं होना व्यवस्था और निगरानी दोनों पर सवाल खड़े करता है। यह स्थिति ऐसे समय सामने आ रही है, जब 272 भूखंडों से जुड़े मामले ने नगर निगम के रिकॉर्ड और निर्णय प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक रुचि बढ़ा दी है। RTI के जरिए दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगने वाले आवेदकों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का सुचारु होना और भी जरूरी हो जाता है।

किया गया इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। यह अभियान तो निकाय चुनावों से पहले भी हो सकता था। सरकारी खबर के अनुसार अभियान का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में शामिल होने से शेष रह गए पात्र नागरिकों तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके एवं प्रथम बार मतदान के लिए पात्र हुए युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करना है। मगर एसआईआर तो बहुत पहले हो चुका था, उसके बाद निकाय चुनाव हुए। उसमें भी कोई अभियान नहीं चलाया गया। खबर के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, नवीन महाजन ने बताया कि अभियान के तहत सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गत सात दिवस में अभियान के अंतर्गत अब तक विधानसभा क्षेत्रों में नवीन मतदाताओं के पंजीकरण हेतु 57,000 से अधिक फॉर्म -6 प्राप्त किए जा चुके हैं।

घोषणा पत्र समाप्त किया तो पहले क्यों लिया था

अब राजस्थान सहित एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके अन्य राज्यों में मतदाता पंजीकरण के फॉर्म -6 एवं संशोधन हेतु फॉर्म-8 के साथ एसआईआर के दौरान जोड़े गए घोषणा पत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। पात्र नागरिक voters.eci.gov.in अथवा ईसीआईएनईटी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म -6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। सवाल उठत है कि यदि अब समाप्त किया गया है तो पहले क्या हो गया था क्यों अनिवार्य किया गया। मतदाता तो वही है पहले भी आवेदन किया था, हाथ जोड़े थे कि पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। अब ऐसा क्या कमाल हो गया कि घोषणा पत्र का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। कहीं यह आंदोलन का असर तो नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि निकाय चुनाव में जिनके नाम काट दिए गए क्या उनको फिर से पांच साल बाद के निकाय चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा?? क्योंकि बीएलओ तो यही कह रहे हैं? यदि हां तो यह फिर वन नेशन वन इलेक्शन का झुनझुना क्यों, वन टाइम मतदाता सूची आखिर क्यों नहीं??

बालिका विद्यालय में निकली सेवा ज्योति कलश यात्रा



24 न्यूज अपडेट

खेरवाड़ा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा में प्रधानाचार्य संतोष मीणा के निर्देशन में सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में विद्यालय का समस्त स्टाफ और छात्राएं शामिल हुईं। कार्यक्रम में छात्राओं को सेवा ज्योति कलश यात्रा के उद्देश्य

और महत्व की जानकारी दी गई। बताया गया कि विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत आयोजित यह यात्रा जनसेवा, सामाजिक सरोकार और सुशासन की भावना को मजबूत करने के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का संदेश देती है। प्रभारी नका राम सालवी ने छात्राओं को समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहने और सेवा भावना को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। यात्रा के दौरान विद्यालय परिसर में छात्राओं में उत्साह नजर आया।



मांडवा की पहाड़ियों में 11 क्विंटल से ज्यादा गांजा-भांग की फसल नष्ट, हिरणमगरी में 50 लाख की MDMA के साथ 3 गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। युवाओं को नशे से बचाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे 'जागृति' अभियान के तहत उदयपुर पुलिस ने दो बड़ी कार्रवाई की है। मांडवा पुलिस ने दुर्गम पहाड़ियों में छिपाकर की जा रही गांजा और भांग की अवैध खेती नष्ट कर 1149.500 किलो अवैध फसल ज्व्त की, जबकि हिरणमगरी पुलिस ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 470 ग्राम MDMA बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बरामद MDMA की बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई है।

मांडवा में पहाड़ियों पर सर्च ऑपरेशन
पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि मांडवा क्षेत्र के मौजा साड़ी में दुर्गम पहाड़ियों के बीच तस्करों ने अवैध रूप से गांजा और भांग की खेती कर रखी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकुल शर्मा और वृत्ताधिकारी कोटड़ा डूंगर सिंह के सुपरविजन में मांडवा थानाधिकारी मंगलाराम और डीएसटी प्रभारी चंद्रभान सिंह की टीम ने तड़के नदी फला साड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने कविताराम, नकलाराम, होलाराम, किरण, राविया और नारायण के खेतों से अवैध रूप से उगाए गए गांजा और भांग के पौधे नष्ट कर ज्व्त किए। पुलिस के मुताबिक कुल 1149.500 किलो फसल बरामद हुई, जिसमें 17.450 किलो गांजा और 1132.05 किलो भांग के पौधे शामिल हैं।



आबकारी अधिनियम की धारा 16/ 54 के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब अवैध खेती और इससे जुड़े नेटवर्क के मुख्य आरोपियों की तलाश में दविश दे रही है।

हिरणमगरी में स्कॉर्पियो से 470 ग्राम MDMA
दूसरी कार्रवाई हिरणमगरी क्षेत्र में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छवि शर्मा

इस मामले में मांडवा थाने में 7 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें एक मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 20 और छह मामले इसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ स्कॉर्पियो ज्व्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी यह MDMA बाइमेर के गुड़ामालानी निवासी अरविंद से खरीदकर उदयपुर ला रहे थे। मामले में हिरणमगरी थाने में प्रकरण संख्या 383/ 2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 22 में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच भूपालपुर थानाधिकारी रतन सिंह कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मनीष (26) निवासी टेकन मेघवाल फला, सलूंबर, हाल बेड़वास प्रतापनगर; शंकर (33) निवासी जेवाणा, फतहनगर; और नरेश (27) निवासी गोडा गांव, चौहटन, बालोतरा शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने कहा कि उदयपुर पुलिस जिले को नशामुक्त बनाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सेक्टर-11 में युवक और उसके दोस्त से मारपीट

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। अंबामाता थाना क्षेत्र के सेक्टर-11 स्थित काका रेस्टोरेट के पास युवक और उसके दोस्त के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खारोल कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय पिपुष खोखर ने

रिपोर्ट दी कि प्रिस खोखर और उसके साथियों ने उसके तथा उसके दोस्त के साथ मारपीट की। पुलिस ने प्रकरण संख्या 355/ 2026 के तहत धारा 115(2), 126(2) और 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज किया है। जांच हेड कांस्टेबल भानुप्रकाश कर रहे हैं।

मीरा नगर में खड़ी दो कारों को दूसरी कार ने मारी टक्कर

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सुखर थाना क्षेत्र के मीरा नगर में घर के बाहर खड़ी दो कारों को एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा। मीरा नगर निवासी प्रतीप अग्रवाल ने रिपोर्ट में बताया कि उनके घर के बाहर उनकी हंडई वेन्यू नंबर RJ27CL4950 और पड़ोसी

की टोयोटा फॉर्च्यूनर नंबर RJ30UC1224 खड़ी थी। इसी दौरान स्वीफ्ट डिजायर नंबर RJ-06TA3046 के चालक ने पीछे से दोनों वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने प्रकरण संख्या 440/ 26 में धारा 281 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। जांच सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह कर रहे हैं।

भुवाणा में जमीन की स्कीम में फर्जीवाड़े का आरोप

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सुखर थाना क्षेत्र से जुड़े भुवाणा में जमीन की स्कीम और भूखंडों की नीलामी से संबंधित कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यूडीए में भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत राजेश मेहता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि राजस्व ग्राम भुवाणा की आराजी संख्या 3055 में यूडीए के स्वामित्व वाली

भूमि पर स्कीम बनाकर भूखंडों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचने की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया गया। मामले में दुर्गाशंकर, मोहनसिंह और भेरूसिंह के खिलाफ प्रकरण संख्या 439/ 2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 478 और 120-बी भादंसे के तहत मामला दर्ज किया है। जांच सहायक उप निरीक्षक रामखिलाड़ी कर रहे हैं।

रास्ता रोककर चाकू दिखाया, शराब के लिए पैसे मांगे

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। झाड़ोल थाना क्षेत्र में युवक का रास्ता रोककर चाकू दिखाते, शराब के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। झाड़ोल निवासी दीपक जोशी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर चाकू दिखाया और शराब के लिए पैसे

मांगे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मामले में गोपाल सिंह सहित भूपेंद्र तेली और अन्य के खिलाफ प्रकरण संख्या 165/ 2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 115(2), 127(2), 3(5) बीएनएस तथा धारा 4/ 25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। जांच हेड कांस्टेबल किशन कर रहे हैं।

दहेज को लेकर महिला से मारपीट का मामला

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। पाटिया थाना क्षेत्र के कुबेडिया में महिला के साथ दहेज की बात को लेकर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। कुबेडिया निवासी 65 वर्षीय मीरकी देवी डामोर ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने दहेज की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की। मामले में उपला फला कनवई निवासी नरेश गमेती के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच पाटिया थानाधिकारी रमेशचंद्र कर रहे हैं।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सायरा थाना क्षेत्र के डिगारी में विवाहिता को दहेज के लिए परेशान करने का मामला सामने आया है। डिगारी निवासी देवली गमेती ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसे दहेज की बात को लेकर परेशान किया गया। मामले में बांसलिया निवासी कालूलाल गमेती सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण संख्या 244/ 26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 85 और 316 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। जांच सायरा थानाधिकारी घेवरचंद कर रहे हैं।

मारपीट और महिला की लज्जा भंग करने का आरोप

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सायरा थाना क्षेत्र में मारपीट और महिला की लज्जा भंग करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार कड़ेचावास निवासी भेरूसिंह राजपूत के संबंध में दर्ज इस्तगासा में आरोप है कि अभियुक्तों ने प्रार्थी के साथ मारपीट की तथा उसकी पत्नी की लज्जा भंग की। पुलिस ने प्रकरण संख्या 243/ 2026 में धारा 74, 76, 115(2), 126(2), 351(2), 333(6) और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। जांच सहायक उप निरीक्षक शंभुसिंह कर रहे हैं।

जातिसूचक गालियां देने और धारदार हथियार से मारपीट का मामला

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सायरा थाना क्षेत्र के कड़ेचावास में महिला और उसके भाई के साथ मारपीट तथा जातिसूचक गालियां देने का मामला सामने आया है। तुलसी हाइट्स, ठोकर चौराहा निवासी राजलता खींची ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने उनके और उनके भाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट की तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने प्रकरण संख्या 567/ 26 के तहत धारा 126(2), 115(2), 3(5) बीएनएस तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच डीएसपी छवि शर्मा कर रही है।

स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई, कई मामले दर्ज



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। स्कूलों और छात्रावासों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू एवं धूम्रपान सामग्री की बिक्री के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कई प्रकरण दर्ज किए हैं। नाई, अंबामाता, प्रतापनगर, सुरजपोल, धानमंडी, सुखर और बावलवाड़ा थाना क्षेत्रों में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व अन्य तंबाकू सामग्री बेचने के मामले सामने आए। संबंधित मामलों में राजस्थान धूम्रपान निषेध अधिनियम की धारा 9/ 11 के तहत कार्रवाई की गई। नाई थाना पुलिस ने सीसारमा स्थित खुशीलाल नागदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान सामग्री बेचने के आरोप में प्रभुलाल पुत्र हरलाल प्रजापत, उम्र 52 वर्ष, निवासी सीसारमा को पकड़ा। प्रकरण संख्या 198/ 26 में कार्रवाई की गई। मामले की जांच हेड कांस्टेबल करण सिंहकर रहे हैं। अंबामाता थाना पुलिस ने गरीब नवाज कॉलोनी स्कूल के पास धूम्रपान सामग्री और तंबाकू कब्जे में रखकर बेचने के आरोप में मोहम्मद इब्राहीम, उम्र 60 वर्ष, निवासी मकान नंबर 306, गली नंबर 2, गरीब नवाज कॉलोनी के खिलाफ प्रकरण संख्या 387/ 26 दर्ज किया। मामले की कार्रवाई हेड कांस्टेबल राजेन्द्र गुर्जर ने की। इसी थाना क्षेत्र में इंटरनेशनल स्कूल नोबल के पास तंबाकू सामग्री बेचने के आरोप में खुशीलाल प्रजापत पुत्र हिरलाल प्रजापत, उम्र 23 वर्ष, निवासी ढोल, थाना सायरा के खिलाफ प्रकरण संख्या 388/ 26 दर्ज हुआ। कार्रवाई हेड कांस्टेबल किरण कुमार ने की। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के खेमपुरा में सरकारी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान सामग्री बेचने के आरोप में खेमराज पटेल पुत्र उदाजी पटेल, उम्र 50 वर्ष, निवासी आदर्शनगर, खेमपुरा, हाल सांवरिया जनरल स्टोर, खेमपुरा के खिलाफ प्रकरण संख्या 560/ 26 दर्ज किया गया। मामले की रिपोर्ट उप निरीक्षक लालूराम की ओर से दर्ज कराई गई।

सरकारी स्कूल से वाटर कूलर और सेनेटरी नैपकिन डिस्पोज मशीन चोरी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के साकरोदा स्थित स्कूल से वाटर कूलर की मशीन और सेनेटरी नैपकिन डिस्पोज मशीन चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। स्कूल के उप प्राचार्य बक्तावर सिंह

सुरजपोल थाना पुलिस ने आरएमवी स्कूल के पास तंबाकू बेचने के मामले में मोहनलाल मसार मीणा पुत्र वेसात मसार, उम्र 45 वर्ष, निवासी फला बली, मेता का पाड़ला, ओबरी, डूंगरपुर, हाल रजवाड़ी चाय होटल, आरएमवी स्कूल के पास, सुरजपोल के खिलाफ प्रकरण संख्या 364/ 26 में आबकारी अधिनियम की धारा 19/ 54 के तहत कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार आरोपी से तंबाकू विक्रय संबंधी लाइसेंस व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा गया, लेकिन उसने किसी प्रकार का लाइसेंस या अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक महेशचन्द्र कर रहे हैं। सुरजपोल थाना क्षेत्र में ही इन्द्रानगर बीड़ा में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान सामग्री बेचने के आरोप में मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद हुसैन, उम्र 40 वर्ष, निवासी 1076 यूआईटी कॉलोनी, सबिना के खिलाफ प्रकरण संख्या 367/ 26 दर्ज किया गया। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक चन्द्रभान सिंह कर रहे हैं। धानमंडी थाना पुलिस ने लाखारा चौक स्थित जैन बौद्धिग स्कूल के पास धूम्रपान सामग्री बेचने के आरोप में मुकेश कुमार पुत्र धुलचन्द्र जैन, उम्र 52 वर्ष, निवासी 99 भोपालवाड़ी, धानमंडी के खिलाफ प्रकरण संख्या 83/ 2026 दर्ज किया। कार्रवाई उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह की ओर से की गई।

सुखर थाना पुलिस ने भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान सामग्री बेचने के आरोप में कार्रवाई की। प्रकरण संख्या 438/ 2026 में श्रीमती माया लौहार पत्नी उमेशकुमार, निवासी गोटड़ा, थाना छोटी सादडी, प्रतापगढ़, हाल खेमराज डांगी के मकान, राजकीय प्राथमिक स्कूल भुवाणा के पास रामनगर कच्ची बस्ती, सुखर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच हेड कांस्टेबल विनोद, नंबर 62 कर रहे हैं।

बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में छात्रावास के पास बीड़ी, सिगरेट और गुटखा बेचने के दो मामले दर्ज हुए। पहले मामले में देवीसिंह पुत्र रामसिंहजी गरसिया, उम्र 56 वर्ष, निवासी भाखरा जोगणिया फला, बावलवाड़ा के खिलाफ प्रकरण संख्या 151/ 26 दर्ज किया गया। दूसरे मामले में राजेन्द्र कुमार रावल पुत्र लक्ष्मणलाल रावल, उम्र 36 वर्ष, निवासी कुम्हार पाड़ा, बावलवाड़ा के खिलाफ प्रकरण संख्या 152/ 26 दर्ज हुआ। मामलों में हेड कांस्टेबल विपिन कुमार, नंबर 1926 की भूमिका रही।

महिला के लापता होने का मामला दर्ज

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सुरजपोल थाना क्षेत्र में एक युवती के बिना बताए घर से चले जाने का मामला सामने आया है। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी की पुत्री बिना बताए कहीं चली गई। मामले में सुरजपोल थाने में प्रकरण संख्या 366/ 26 के तहत धारा 140(3) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच सहायक उप निरीक्षक नेपाल सिंह कर रहे हैं।

वी-मार्ट के पास से मोटरसाइकिल चोरी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सबसिटी सेंटर के पास वी-मार्ट के निकट खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार विनोद मनात निवासी पानेरियों की मादड़ी ने रिपोर्ट दी कि 18 सितंबर की रात करीब 3 बजे सबसिटी सेंटर के पास से उनकी मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर हिरणमगरी थाने में प्रकरण संख्या 382/ 2026 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है। जांच सहायक उप निरीक्षक नेपाल सिंह कर रहे हैं।

मोटरसाइकिल की टक्कर से मजदूर घायल, चालक के खिलाफ मामला

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। नाई थाना क्षेत्र के बड़ी उंदरी में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक व्यक्ति के घायल होने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार बड़ी उंदरी निवासी 47 वर्षीय लालूराम मीणा ने रिपोर्ट दी कि मोटरसाइकिल नंबर RJ27NB2577 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। हादसे में प्रार्थी को चोटें आईं। नाई थाने में प्रकरण संख्या 199/ 26 के तहत धारा 281, 106(1) और 125(ए) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है। जांच सहायक उप निरीक्षक वंशीलाल कर रहे हैं।

स्कूटी की टक्कर से महिला गंभीर घायल

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के कानपुर में स्कूटी की टक्कर से महिला के गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। साकरोदा निवासी सुरेश कालबेलिया ने पुलिस को बताया कि स्कूटी नंबर RJ27-AW-0036 के चालक ने गलत दिशा और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी माता को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी माता को गंभीर चोटें आईं। प्रतापनगर थाने में प्रकरण संख्या 563/ 26 के तहत धारा 281 और 125(ए) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है। जांच हेड कांस्टेबल जालमसिंह कर रहे हैं।

बेड़वास से मोटरसाइकिल चोरी, पुलिस ने दर्ज किया केस

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास में खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। भैरवगढ़ के पास रहने वाले चुन्नीलाल गमेती ने रिपोर्ट दी कि उनकी मोटरसाइकिल नंबर RJ27HB4100 को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। पुलिस ने प्रकरण संख्या 564/ 26 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज किया है। जांच हेड कांस्टेबल हरिकिशन कर रहे हैं।

धारदार हथियार से हमला, पिता-पुत्र और भांजों से मारपीट का आरोप

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बिछड़ी में धारदार हथियार से हमला कर एक परिवार के सदस्यों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बिछड़ी निवासी 44 वर्षीय किशनलाल डांगी ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने धारदार हथियार से उनके, उनके पिता और भांजों के साथ मारपीट की। मामले में पुरालाल पुत्र दल्लाजी डांगी निवासी बिछड़ी का नाम सामने आया है। पुलिस ने प्रकरण संख्या 566/ 26 के तहत धारा 126(2), 115(2) और 109(1) बीएनएस में मामला दर्ज किया है। जांच सहायक उप निरीक्षक अमरसिंह कर रहे हैं।



नगर निगम जाओ तो उपायुक्त साहब का 'टाइम-खोटी' मत करना! पहले वालों के पास आपके लिए थे ढाई घंटे, अभी वालों के पास सिर्फ 1 घंटा!! बड़ा सवाल-जनता के पैसों से ले रहे तनख्वाह, आखिर जा कहां रहा है इनका टाइम???

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर के नगर निगम जिसको कई लोग प्यार से नरक निगम भी कहते हैं, उनमें इन दिनों उपायुक्त के टाइम को लेकर खासी चर्चा है। उपायुक्त साहब से मिलने का टाइम लगातार घटता जा रहा है। साहब को तनख्वाह तो जनता के टेक्स के पैसों से मिलती है मगर उनका टाइम आमजन के लिए लगातार सीमित होता जा रहा है। उनको लगता है कि टाइम खोटी किया जा रहा है इसलिए मिलने का समय लगातार घटाया जा रहा है। एक उपायुक्त से दूसरे उपायुक्त तक आते-आते समय इतना घट गया कि अब शहरवासियों को चिंता हो रही है कहीं आने वाले समय में यह सिमट कर केवल दस-पांच मिनट का ही ना रह जाए। हो सकता है कि उसके बाद केवल एक मिनट की मुंह दिखाई का ही समय रह जाए और उसके बाद समय का ऐसा फेर आ जाए कि मिलने के लिए भी उल्टा 'पेड़-टोकन' लेकर समय खरीदना पड़ जाए। उसके बाद की स्थितियों का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये टाइम आखिर जा कहां रहा है?? ऐसी कौनसी मशीन है जिसमें यह टाइम खर्च हो रहा है। अफसर पर इतना कितना काम का बोझ लादा जा रहा है कि वे जनता की आवाज सुनने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या अफसरों का पता भी है कि इनका समय लगातार बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। क्या आयुक्त साहब को पता है कि उपायुक्त की विजीनेस लगातार बढ़ती जा रही है। किन कामों में व्यस्त है आखिर आयुक्त साहब, ऐसा कौनसा पहाड़ है जिसके कारण दवे



अफसर जनता के पैसों की तनख्वाह लेते हैं। अगर समय इतना टाइट हो गया है, काम सिर पर बोझ बन गया है तो कम से कम इस समय को लंच वाले टाइम में तो तब्दील किया ही जा सकता है ताकि मुसीबत का मारा

पहले उपायुक्त नरेश सोनी हुआ करते थे तब उन्होंने मिलने का समय सुबह साढ़े 9 से 11 व दोपहर में 2 से 3 बजे का लिखा हुआ था। अब उपायुक्त महोदय हरिसिंह देवल हैं जिनके पास मिलने का समय केवल 12 से 1 का ही बचा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह समय आमजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। नौकरी पेशा आदमी अगर लंच के समय अपने काम से निगम आएगा तब उसका तो काम कभी हो ही नहीं पाएगा।

आम शहरवासी अपने ही टेक्स से वेतन पाने वाले, अपने ही टेक्स के पैसों से चलने वाले नगर निगम में आकर उनके बातानुकूलित कक्ष में समय पर अपनी फरियाद रख सके। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह हमारे समय का कोई भयंकर सच है जिसमें नौकरशाही का बढ़ता हुआ दायरा टाइम मशीन बनकर हमारे समय के हर हिस्से को बारी बारी से निगल रहा है। अफसर का समय खर्च कहां हो रहा है?? क्या कोई नेता समय खा रहा है या फिर उपर के अफसरों ने इतना काम पकड़ दिया है कि पब्लिक से संवाद का दायरा ही सिमट कर रह गया है। कहीं यह तो मंशा तो नहीं कि ना रहेगा संवाद ना होगा कोई विवाद। क्या आयुक्त महोदय को यह पता है कि उनके मातहत आने वाले अफसर के पास समय की कमी है, क्या कलेक्टर साहब को पता है कि समय सिकुड़ गया है और जनता को अफसरों से मिलने के लिए ऐसी टाइम मशीन की जरूरत है जिसमें समय धीरे कटता हो??? क्या नए मेयर साहब को यह पता है कि उपायुक्त साहब के पास समय का दायरा घट कर केवल एक घंटे का रह गया है??

वाहन पर धारण कर ली लाल—नीली बत्ती

एक और जानकारी सामने आई है कि लाल-नीली बत्ती अपने वाहन पर लगाने के लिए भी उपायुक्त के स्तर पर व्याकुलता दिखाई दे रही है। पूर्व उपायुक्त अपने वाहन पर लाल-नीली बत्ती नहीं लगाते थे मगर नए उपायुक्त साहब की गाड़ी पर वीआईपी कल्चर वाली लाल-नीली बत्ती लगी हुई दिखाई दे रही है। क्या आरएएस लाल-नीली बत्ती लगा सकते हैं?? यदि हां तो किन नियमों के तहत यह जनता जानना चाहती है??

23 राज्यों के 500 से अधिक शहरों तक पहुंचा वेदांता मेटल बाजार, एमएसएमई के लिए खरीद प्रक्रिया हुई तेज और पारदर्शी



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। धातु खरीद के पारंपरिक तौर-तरीकों में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से जगह बना रहे हैं। हिंदुस्तान जिक लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांता मेटल बाजार (वीएमबी) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में लेनदेन मूल्य के आधार पर सालाना 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। डिजिटल लेनदेन की संख्या में भी इस दौरान 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान जिक के अनुसार, वेदांता मेटल बाजार अब 23 राज्यों के 500 से अधिक शहरों में ग्राहकों तक पहुंच चुका है। प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक धातुओं की

कीमत देखने से लेकर उत्पाद का चयन, ऑर्डर बुकिंग, भुगतान, बिलिंग, डिस्पैच प्लानिंग और शिपमेंट ट्रैकिंग तक की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी कर सकते हैं। इससे खास तौर पर एमएसएमई और छोटे खरीदारों के लिए खरीद प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिल रही है। हिंदुस्तान जिक के सीईओ अरमेन्दु प्रकाश ने कहा कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के साथ खरीद प्रक्रिया का स्मार्ट और प्रभावी होना भी जरूरी है। उनके अनुसार, वेदांता मेटल बाजार के माध्यम से धातु खरीद को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ एमएसएमई को भी बेहतर खरीद सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

2022 में शुरू हुआ था प्लेटफॉर्म

वेदांता मेटल बाजार की शुरुआत 2022 में हुई थी। कंपनी के मुताबिक यह भारत का पहला ऑनलाइन मेटल मार्केटप्लेस है। प्लेटफॉर्म पर लाइव कीमतों की जानकारी, डिजिटल ऑर्डर, भुगतान, बिलिंग और लेजर रिक्सिलिएशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिक और लेड की बाजार आधारित कीमतों की जानकारी मिलने से खरीदारों को खरीद संबंधी निर्णय लेने में भी सुविधा होती है। हिंदुस्तान

जिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पेशल हाई ग्रेड जिक, हाई ग्रेड जिक, कम कार्बन वाला ग्रीन जिक 'इकोजेन', प्राइम वेस्टर्न जिक, कंटीन्यूअस गैल्वेनाइजिंग ग्रेड जिक, हाई ग्रेड जंबो जिक, एलॉय 3 और एलॉय 5 सहित विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं। कंपनी स्पेशल हाई ग्रेड लेड भी उपलब्ध कराती है।

30 से अधिक देशों तक पहुंच

हिंदुस्तान जिक के उत्पाद 30 से अधिक देशों के ग्राहकों तक पहुंचते हैं। कंपनी के अनुसार उसके उत्पाद ईपीडी सत्यापन, वीआईएस प्रमाणन और यूरोपीय बाजारों के लिए आरईसीसी मानकों के अनुरूप हैं। कंपनी का कहना है कि विश्वसनीय आपूर्ति, गुणवत्ता और पर्यावरणीय मानकों के साथ डिजिटल खरीद व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कंपनी अब वेदांता मेटल बाजार में नई तकनीकों, लाइव प्राइसिंग और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए सुविधाओं का विस्तार कर रही है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुविधाओं को भी प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे धातु खरीद को अधिक तेज, सरल और ग्राहक-केंद्रित बनाने का लक्ष्य है।

दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए क्रिकेट का महासंगम, 9 से शुरू होगा 'ऑल स्टार्स क्रिकेट इनविटेशनल'

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। खेल के मैदान से सामाजिक सरोकार को नई दिशा देने के उद्देश्य से उदयपुर में 9 से 11 अक्टूबर तक तीन दिवसीय चैरिटी क्रिकेट टूर्नामेंट 'ऑल स्टार्स क्रिकेट इनविटेशनल' का आयोजन किया जाएगा। फील्ड क्लब मैदान पर होने वाली इस प्रतियोगिता में देश के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के पूर्व क्रिकेटरों के साथ विभिन्न शहरों और विदेशों से आने वाले विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। आयोजन से जुटाई जाने वाली राशि विकलांग शिक्षक सेवा संस्थान, जोधपुर के दिव्यांगजनों के पुनर्वास, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के प्रयासों में सहयोग के लिए दी जाएगी। इस अनूठी पहल की संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता जाहनवी कुमारी मेवाड़ हैं, जबकि पूर्व क्रिकेटर उदय बाबा आयोजन सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आयोजन सदस्य के रूप में वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं शीर्ष महिला ट्रेप शूटर शगुन चौधरी और जापान की साओरी योगिनी भी आयोजन से जुड़ी हैं। उदयपुर में आयोजन को प्रमुख मार्बल व्यवसायी, होटलियर एवं समाजसेवी वीरमदेव सिंह कृष्णावत तथा वीसीसीआई क्रिकेट अंपायर डॉ. अजात शत्रु सिंह शिवरती का स्थानीय सहयोग मिल रहा है। डॉ. शिवरती आयोजन सदस्य के साथ मीडिया प्रभारी की भूमिका भी निभा रहे हैं।

चार टीमों, तीन दिन में छह मुकाबले

टूर्नामेंट में ऑल स्टार्स, मेयो कॉलेज एलुमनाई, एक्सेलियर क्रिकेट क्लब और मेजबान फील्ड क्लब की टीमों हिस्सा लेगी। तीन दिनों में कुल छह मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच टी-20 प्रारूप में होंगे और वीसीसीआई की प्लेइंग कंडीशन के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे। 'ऑल स्टार्स' टीम में दून स्कूल, मेयो कॉलेज, लॉरेंस स्कूल सनावर और डेली कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों के पूर्व क्रिकेटर मैदान पर उतरेंगे।



आयोजन सचिव उदय बाबा स्वयं भी क्रिकेट से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। उन्होंने भारत में क्रिकेट खेलने के अलावा 1995-96 में यूके की कैम्ब्रिजशायर साइनर काउंटीज के फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट में भी हिस्सा लिया है। ऐसे में इस प्रतियोगिता में खेल और सामाजिक उद्देश्य का अनूठा

मेल देखने को मिलेगा।

देश-विदेश से करीब 200 विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने की संभावना

आयोजकों के अनुसार इस सामाजिक पहल में सहभागी बनने के लिए भारत के विभिन्न शहरों के अलावा न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, सिंगापुर और जापान से करीब 200 विशिष्ट अतिथियों के उदयपुर पहुंचने की संभावना है। क्रिकेट के साथ आयोजन का प्रमुख आकर्षण 10 अक्टूबर की शाम हेरिटेज होटल चुंडा पैलेस में होने वाला विशेष कार्यक्रम रहेगा। यहां संस्थान के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि दिव्यांगजनों के पुनर्वास और स्वावलंबन की दिशा में चल रहे कार्यों को मजबूती मिल सके। सामाजिक कार्यकर्ता जाहनवी कुमारी मेवाड़ लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे 'पावर ऑफ पॉलिटी' सहित देशभर के विभिन्न गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से जरूरतमंद संस्थाओं को सहयोग और सशक्त बनाने के कार्य से जुड़ी हैं। इसी कड़ी में 'ऑल स्टार्स क्रिकेट इनविटेशनल' को खेल के माध्यम से सामाजिक सहयोग जुटाने की पहल के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी डॉ. अजात शत्रु सिंह शिवरती ने बताया कि तीन दिनों में कुल छह टी-20 मुकाबले होंगे। मैच वीसीसीआई की प्लेइंग कंडीशन के आधार पर खेले जाएंगे। आयोजन का मूल उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए दिव्यांगजनों के लिए सहयोग और संसाधन जुटाना है।

विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा



24 न्यूज अपडेट

चित्तौड़गढ़, 7 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को चित्तौड़गढ़ जिले के भदोसर क्षेत्र स्थित आक्या गांव पहुंचे और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के पिता स्वर्गीय रामसिंह आक्या को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने विधायक और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की तथा दुख की घड़ी में उन्हें ढांडस बंधाया।

मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:45 बजे हेलीकॉप्टर से आक्या गांव के हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद विधायक निवास पहुंचकर स्वर्गीय रामसिंह आक्या के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवार के साथ कुछ समय बिताया।

इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम दक, निवाहेड़ा विधायक श्रीचंद्र कुपलानी, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर, बेगूं विधायक सुरेश धाकड़, नगर परिषद सभापति अनिल ईनाणी और उपसभापति सुदर्शन रामपुरिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और चित्तौड़गढ़ एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव ने व्यवस्थाओं की निगरानी की।

पांच डीएसपी, कई थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। हेलीपैड से विधायक निवास तक सुरक्षा घेरा बनाया गया और यातायात व्यवस्था भी संभाली गई।

40 साल तक रहे सरपंच स्वर्गीय रामसिंह आक्या का 28 सितंबर को 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। उनका अंतिम संस्कार 29 सितंबर को किया गया। वे क्षेत्र में लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहे और लगातार आठ बार सरपंच चुने गए। करीब 40 वर्षों तक सरपंच के रूप में सेवाएं देते हुए उन्होंने गांव के विकास और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन के बाद विभिन्न जनप्रतिनिधि परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

राजेश चपलोट को हाईकोर्ट से फिर राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। फतेहनगर थाने में दर्ज FIR संख्या 165/ 2026 के मामले में राजेश चपलोट को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिलने की जानकारी सामने आई है। अधिवक्ता कल्पतरु त्रिपाठी के अनुसार हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को पारित आदेश में अगली सुनवाई तक चपलोट की गिरफ्तारी पर रोक के निर्देश दिए हैं। मामले में इससे पहले 22 सितंबर को भी हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए राजेश चपलोट को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। उस समय फतेहनगर-सनवाड़ नगरपालिका के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में उनके मतदान को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने के साथ 30 सितंबर को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के 22 सितंबर के आदेश के अनुसार राजेश चपलोट 14 सितंबर को फतेहनगर-सनवाड़ नगरपालिका के वार्ड संख्या 3 से निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 21 सितंबर को नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करने के बाद उन्हें FIR के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया था कि कथित घटना 14 सितंबर की थी, जबकि FIR 19 सितंबर को



भूमि से संबंधित है और संबंधित कार्यवाही राजस्व अधिकारियों के समक्ष लंबित है। वहीं राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि FIR में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत का रास्ता उपलब्ध है। 22 सितंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि चुनाव में भाग लेने के लिए दी गई रिहाई का FIR की जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चपलोट को जांच में सहयोग करना होगा। जांच अधिकारी को जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश भी दिए गए थे। अब अधिवक्ता कल्पतरु त्रिपाठी के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। इस राहत के साथ FIR की जांच जारी रहेगी और मामले में अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष जांच की स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं की बैठक

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 7 अक्टूबर। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को माकपा कार्यालय शिराली भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्षता कोल्यारी के पूर्व सरपंच एवं वरिष्ठ किसान नेता हाकरचंद खराड़ी ने की। बैठक में झाड़ोल, कोटड़ा, फलासिया और सायरा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। माकपा जिला सचिव राजेश सिधवी ने कहा कि पार्टी चुनाव को भी संघर्ष के रूप में लेती है और अपने काम व जनसंघर्षों को लेकर जनता के बीच जाती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों का मुकाबला व्यापक एकता, संगठन और संघर्ष के जरिए किया जा

सकता है। वरिष्ठ नेता प्रेम पारगी ने आदिवासी क्षेत्र में माकपा के योगदान और वन अधिकार कानून को धरातल पर लागू कराने में भूमिका पर प्रकाश डाला। गुमान सिंह राव ने भाजपा और अन्य पूंजीवादी दलों पर चुनाव के दौरान बड़े वादे करने का आरोप लगाया। किसान सभा जिला अध्यक्ष प्रभुलाल भगोरा ने कहा कि माकपा का संघर्ष किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। पार्षद राजेंद्र वसीटा ने कहा कि लाल झंडा मजबूत होने से क्षेत्र की जनता की आवाज मजबूत होगी। बैठक में श्रवण, देवाराम, कैलाश वोदर, मोहनवी भगोरा, रतन, कालुराम गमार और भीमराज सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी विचार रखे।